भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1042

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति

1042. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) की स्थापना और संचालन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) एनएएम के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर आज की तारीख तक आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी है और देश में प्रत्येक घटक के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार भौतिक उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ग) देश में विशेष रूप से ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में, जन स्वास्थ्य संकेतकों, रोगियों की संख्या में कमी और स्वास्थ्य सेवा के लिए जेब से होने वाले खर्च पर एनएएम के कार्यान्वयन का मात्रात्मक रूप में कितना प्रभाव पड़ा है; और

(घ) एनएएम के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अंतिम रूप देने और अनुमोदित करने में कथित देरी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जो अक्सर समय पर निधि संवितरण और परियोजना कार्यान्वयन में बाधा डालती है?

<u>उत्तर</u>
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारत सरकार महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रही है और मौजूदा आयुष औषधालयों के साथ-साथ उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों [जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) (आयुष) नाम दिया गया है] के संचालन सहित विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में आयुष पद्धति के समग्र विकास और संवर्धन के लिए उनके प्रयासों का समर्थन कर रही है। एनएएम के तहत, एसएएपी के माध्यम से महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में 12500 एएएम (आयुष) को मंजूरी दी गई है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सभी कार्यशील हैं। अनुमोदित एएएम (आयुष) की महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(ख): चूंकि एनएएम योजना का कार्यान्वयन महाराष्ट्र सहित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालाँकि, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5670.83 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है। वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एनएएम के तहत, महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आवंटित/जारी और उपयोग की गई धनराशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एनएएम के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ/प्राप्त उपलब्धियाँ **संलग्नक-III** पर दी गई हैं।

(ग): आयुष औषधालयों के संचालन का मुख्य उद्देश्य आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित एक समग्र स्वास्थ्य मॉडल स्थापित करना, रोग भार तथा जेब से होने वाले खर्च को कम करने हेतु लोगों को स्व-देखभाल के लिए सशक्त बनाना और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को सूचित विकल्प प्रदान करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आयुष औषधालयों को एएएम (आयुष) में परिवर्तित करने के बाद, लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रकृति की पहचान, योग, औषधीय पौधों का उपयोग, स्वस्थ जीवन शैली, बुनियादी ओपीडी उपचार आदि जैसी विभिन्न

गतिविधियाँ और सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान एएएम (आयुष) में 11.56 करोड़ रोगियों को सेवा प्रदान की गई। इसके अलावा, एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को देश के विभिन्न हिस्सों में आठ संरचित आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भी समर्थन दिया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में कमजोर आबादी भी शामिल है, ताकि पारंपरिक उपचारों के रूप में निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों की क्षमता के अनुसार जनता की समस्या का समाधान किया जा सके।

(घ): वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बजट अनुमान के अनुसार, दिनांक 24.02.2025 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधन पूल आवंटित कर दिया गया था और उनसे दिनांक 15 मार्च, 2025 तक राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ (एसएएपी) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था और उनके साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। अब तक, 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एसएएपी प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें से 12 को अंतिम रूप दे दिया गया है। आयुष मंत्रालय उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय कर रहा है जिन्होंने अपनी एसएएपी प्रस्तुत नहीं की हैं।

*****

संलग्नक-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित और कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अनुमोदित एएएम (आयुष)	कार्यशील एएएम (आयुष)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	6	6
2	आंध्र प्रदेश	126	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89	89
4	असम	500	500
5	बिहार	294	294
6	चंडीगढ़	12	12
7	छत्तीसगढ़	400	400
8	दिल्ली	0	0
9	दादरा व नागर हवेली और दमण व दीव	1	1
10	गोवा	100	100
11	गुजरात	365	365
12	हरियाणा	538	538
13	हिमाचल प्रदेश	761	761
14	जम्मू-कश्मीर	523	523
15	झारखंड	745	745
16	कर्नाटक	376	376
17	केरल	700	700
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	7	7
20	मध्य प्रदेश	800	800
21	**महाराष्ट्र**	**390**	**390**
22	मणिपुर	15	15
23	मेघालय	24	24
24	मिजोरम	41	41
25	नागालैंड	49	49
26	ओडिशा	422	422
27	पुडुचेरी	4	4
28	पंजाब	158	158
29	राजस्थान	2019	2019
30	सिक्किम	18	18
31	तमिलनाडु	650	650
32	तेलंगाना	421	421
33	त्रिपुरा	72	72
34	उत्तर प्रदेश।	1034	1034
35	उत्तराखंड	300	300
36	पश्चिमी बंगाल	540	540
कुल		**12500**	**12500**

संलग्नक-II

वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एनएएम के तहत, आवंटित/जारी और उपयोग की गई धनराशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	आवंटित/जारी की गई धनराशि (केंद्रीय हिस्सा)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	3172.52	2913.42
2	आंध्र प्रदेश	10075.24	7876.12
3	अरुणाचल प्रदेश	6516.88	6466.28
4	असम	20423.24	18581.01
5	बिहार	8091.86	6502.21
6	चंडीगढ़	2206.70	1834.97
7	छत्तीसगढ़	13935.89	10786.34
8	दादरा व नागर हवेली और दमण और दीव	1583.43	1378.48
9	दिल्ली	726.31	725.98
10	गोवा	2935.58	2781.44
11	गुजरात	16127.16	10759.63
12	हरियाणा	15477.57	15121.69
13	हिमाचल प्रदेश	17896.15	15287.83
14	जम्मू-कश्मीर	26191.38	24238.66
15	झारखंड	16864.86	15093.19
16	कर्नाटक	26519.45	22818.00
17	केरल	35572.42	31210.80
18	लद्दाख	497.32	386.10
19	लक्षद्वीप	1942.25	1857.98
20	मध्य प्रदेश	41182.19	37773.62
21	**महाराष्ट्र**	**13356.21**	**10882.74**
22	मणिपुर	9504.66	8208.29
23	मिजोरम	5934.86	5679.95
24	मेघालय	7296.64	6389.08
25	नागालैंड	9240.38	8901.03
26	ओडिशा	11079.39	9035.69
27	पुडुचेरी	3050.48	2434.97
28	पंजाब	6902.92	5130.62
29	राजस्थान	41834.61	34903.34
30	सिक्किम	4332.60	4300.70
31	तमिलनाडु	28587.15	23647.21
32	तेलंगाना	12280.61	11553.46
33	त्रिपुरा	5731.19	5159.22
34	उत्तर प्रदेश	104006.92	93972.98
35	उत्तराखंड	17405.14	16923.48
36	पश्चिमी बंगाल	18600.73	16519.49
	कुल	**567082.88**	**498035.98**

संलग्नक-III

वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एनएएम के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ

(i) एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 203 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।
(ii) बुनियादी ढाँचे और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए 518 आयुष अस्पतालों और 6234 आयुष औषधालयों को सहायता प्रदान की गई।

(iii) प्रत्येक वर्ष औसतन 2387 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), 746 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और 319 जिला अस्पतालों (डीएच) को दवाओं और आकस्मिक व्यय की आवर्ती सहायता के लिए सह-स्थापन के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई।

(iv) आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष औसतन 1157 आयुष अस्पतालों और 12677 आयुष औषधालयों को सहायता प्रदान की गई।

(v) नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 21 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।

(vi) 78 स्नातक और 46 स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढाँचे, पुस्तकालय और अन्य चीजों के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की गई।

(vii) नए आयुष औषधालयों की स्थापना के लिए 383 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई।

(viii) 1429 आयुष ग्रामों को सहायता प्रदान की गई।

(ix) 12500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, जिनका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) रखा गया है, को सहायता प्रदान की गई।